

A-

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0ख
आई.ए.ए

अपील संख्या 103/2020

उम्मेद सिंह पुत्र हरनारायण, जाति जाट, निवासी किठाना, पंचायत समिति चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू वगैरह।

— अपीलान्त

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. मीरा पनि सत्यवीर नेहरा, जाति जाट, निवासी ग्राम किठाना, पंचायत समिति चिडावा तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)

— रेस्पोजेन्ट

—

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 13.03.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, चिडावा बाबत ग्राम पंचायत किठाना के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 373 को हटवाने बाबत।

—

उपस्थित

1. श्री इन्दुभूषण शर्मा, एडवोकेट— अपीलांत की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 24.08.20

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलान्त पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने के लिए सं0 प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्त अनुसार निम्नानुसार है कि अपीलान्त ने रेस्पोजेन्ट नं0 1 के समक्ष रेस्पोजेन्ट नं0 2 का नाम पंचायत किठाना के वार्ड नं0 1 मतदाता क्रम सं0 373 से हटवाने के लिए प्रारूप सं0 2 में आवेदन पेश किया था जिसे रेस्पोजेन्ट सं0 1 ने आदेश दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अस्वीकार किया। अपीलान्त की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है:- आदेश जैर बहस के अनुसार अनुचित है। आदेश जैर बहस स्पिकिंग नहीं है। रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम विधान सभा पिलान्त झुंझुनू की मतदाता सूची सन् 2020 में दर्ज है तथा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोजेन्ट नं0 2 का नाम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 373 से हटवाने का आदेश दिया जावे।

/

कलक्टर झुंझुनू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश जैर बहस के आधार अनुचित है। आदेश जैर बहस स्पिकिंग नहीं है। रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम विधान सभा पिलानी व झुंझुनूं की मतदाता सूची सन् 2020 में दर्ज है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड सं0 1 के मतदाता क्रम सं0 373 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोजेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्त के तर्कों का समर्थन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोजेन्ट सं0 2 ग्राम पंचायत किठाना के अलावा रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं एवं विधानसभा क्षेत्र पिलानी में भी है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड सं0 1 के मतदाता क्रम सं0 373 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 के उप बिन्दू 1 में वर्णित नियम 14 या 20 के अनुसार जिला कलेक्टर को अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 15 दिवस में ही करनी होगी। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 ए में वर्णित नियम 20 और 21 के अनुसार मतदाता सूची में नाम संशोधन नहीं किया जावेगा, स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा, विलोपित नहीं किया जावेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस नियम 23 या 58 में संबंधित मतदाता को नहीं दे दिया गया हो। चूंकि वर्णित अपील में रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम ग्राम पंचायत अरडावता की मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया है और वर्तमान में रेस्पोजेन्ट सं0 2 केवल ग्राम पंचायत किठाना का ही मतदाता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का आदेश दिनांक 13.03.2020 यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमिल जवाब दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनूं